उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या-11/2019/299/71-2-2019-पी-8/2016
लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2019

शुद्धि पत्र

एस0जी0पी0जी0आई0 के टेक्नीशियन संवर्ग का ढॉचा एम्स नई दिल्ली के टेक्नीशियन संवर्ग के अनुसार किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-132/2018/2745/ 71-2-18-पी-08/2016, दिनांक 17-10-2018 आफलाइन एवं आनलाइन निर्गत किया गया है। आनलाइन जारी उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में लैबोरेटरी टेक्नीशियन संवर्ग की तालिका के नीचे टंकण त्रुटिवश निम्नलिखित तथ्य अंकित हो गया, जो आफलाइन जारी शासनादेश में नहीं हैः-

Note	1. Order of Revised RRs will be issued separately (In SGPGI-as per AIIMS) 2. The existing Medical Laboratory Staff at level 2., 3 & 4 may be considered for promotion on the basis of length of service based on DoP&T Guidelines to be notified in Recruitment Rules. (In SGPGI-as per AIIMS) 3. Mere upgradation of pay scales and nomenclature will not entail change in the nature of duty being performed or supposed to be performed by the incumbent. It is made clear that all personnel in the cadre of Laboratory are required to perform all the tasks assigned to them by the HOD/Faculty-in-Charge of respective Laboratory. (In SGPGI-as per AIIMS) The above orders will be effective from 17.07.2015 i.e. the date of issue of MoHFW O.M. No. F.No. A-28020/112008-PMS (Part-I) dated 17th july, 2015. The expenditure will be met out of the sanctioned budged of the Institute. (In SGPGI- as per AIIMS)

2- अतएव आनलाइन जारी उक्त शासनादेश दिनांक 17-10-2018 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित उपर्युक्त अंश को विलोपित किया जाता है।

3- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शेष शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

जयन्त नार्लिकर
सचिव।

संख्या-11/2019/299(1)/71-2-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहरभवन, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक/वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वे0आ0) अनुभाग-1
6- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in